रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21052024-254271
SG-DL-E-21052024-254271

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]	दिल्ली, बृहस्पतिवार , मई 16, 2024/वैशाख 26, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 47
No. 140]	DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2024/VAISAKHA 26, 1946	[N. C. T. D. No. 47

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2024

फा. सं. 10(33)/2010/आर.आर.वरि.अधी./डीएसडब्ल्यू/स्था./206.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 17 जुलाई, 1990 की अधिसूचना संख्या फा. 1 (7)/70—डीएसडब्ल्यू/स्था0 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधीक्षक (तकनीकी) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमों में संशोधन करते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधीक्षक (तकनीकी) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता इत्यादि :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को छूट दे सकती है।

6. बचाव :– इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ अधीक्षक (तकनीकी)
2.	पदों की संख्या	:	09* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह–क, राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –11 (रुपये 67,700–2,08,700/–)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप :– आयु–सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता	:	अनिवार्य :– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/गृह विज्ञान/समाज शास्त्र/बाल विकास/पोषण में मास्टर डिग्री। (ii) किसी सरकारी, गैर सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान में पर्यवेक्षी पद पर पांच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव सहित सामाजिक कार्य में दस वर्षों का अनुभव। वांछनीय :– (i) सामाजिक बाधाओं के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य। (ii) केस कार्य अभिविन्यास तथा विशेष रूप से संगठन कार्य एवं सामान्य रूप से दिव्यांगों के साथ सामाजिक कार्य में अनुभव। टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप 2: यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत

			से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : नहीं षैक्षिक योग्यता : हाँ
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति वालों उम्मीदवारों के लिए 02 वर्ष टीपः प्रशिक्षण का सफल समापन जैसा कि कैडर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया, सीधी भर्ती के संबंध में परिवीक्षा करने हेतु एक पूर्व आवश्यकता है।
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति : नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदत्त पद/ग्रेड में सात वर्षों की नियमित सेवा सहित स्तर–7 (वेतन मैट्रिक्स में सातवे वेतन आयोग के अनुसार) में 44900–142400/–रुपये के वेतनमान पर अधीक्षक (गैर संवर्ग) तथा कॉलम संख्या 7 में सीधी भर्ती हेतु यथानिर्धारित षैक्षिक योग्यता रखने वाले । केवल नियमित तथा तदर्थ नहीं, पदोन्नति के प्रयोजन हेतु सेवा अवधि को ध्यान में रखा जाता है। टीपः– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति :– केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकारी : (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) स्तर–10 (वेतन मैट्रिक्स में सातवें वेतन आयोग के अनुसार), 65100–177500/–रुपये के वेतनमान के पदों में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित, तथा (ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले। टीपः भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य 3. प्रशासनिक सचिव, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव –सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)– सदस्य टीप :– यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण केविचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	सभी अवसरों पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक है

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

विनोद परशुराम कावले, सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2024

No. F. 10(33)/2010/RRs of Sr. Supdt./DSW/Estt./206.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated 13th July,1959 and in supersession of the Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Social Welfare's Notification no. F.1(7)/70-DSW/Estt. dated 17th July, 1990 except as things done or omitted to be done before such supersession the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with Union Public Service Commission, is pleased to make following amendment in the rules regulating the method of recruitment for the posts of Senior Superintendent (Technical) in the Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement: – (i) These rules may be called Department of Social Welfare,GNCTD, Senior Superintendent (Technical), Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force with effect from the date of its publication in the official gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix:- The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc: – The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications: – No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: – Where the Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	**Number of the Post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Senior Superintendent (Technical)	**9*(2024),** *Subject to variation depending on work load.	General Central Service, Group-A Gazetted, Non-Ministerial	Level – 11in the pay matrix (Rs. 67700–208700/-)	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) **Note**: - The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by UPSC.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(7)	**(8)**	**(9)**
<u>Essential:-</u> i) Master's degree in Social Work/ Home Science/ Sociology/ Child Development/ Nutrition from a recognized university or equivalent. ii) 10 years experience in social work including 5 years administrative experience in supervisory post in any Govt., Semi-Govt. or recognized institutions. **<u>Desirable:-</u>** i) Research work in the field of Social Work problems. ii) Case work orientation and experience in organization work in particular and social work with the handicapped in general. iii) Knowledge of Hindi. **Note 1** – Qualification are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** - The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age: No E.Q: Yes	2 years for direct recruits and promotes **Note:** Successful completion of the training, as decided by the Cadre authority, is a pre-requisite for completion of probation in respect of Direct Recruits.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation to be made**
(10)	**(11)**
(i) 75% by promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment, (ii) 25% by direct recruitment.	**<u>Promotion</u>: -** Superintendent (ex-cadre) having the pay scale of Rs. 44900 – 142400/- in level – 7 (as per 7^{th} CPC pay matrix) with 7 years of regular service in the post/Grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits in column no. 7. Only regular and not Adhoc, period of service is taken into account for the purpose of promotion. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **<u>Deputation: -</u>** Officers of the Central/State Govt./Union Territories:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis, **or** (ii) With 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 56100 – 177500/- in level – 10 (as per 7^{th} CPC pay matrix) and; (c) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column no. 7. **Note:**-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central Govt. shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Group 'A' DPC (For considering promotion) 1. Chairman / Member of UPSC - **Chairman** 2. Chief Secretary, GNCTD –**Member** 3. Administrative Secretary, Department of Social Welfare, GNCTD –**Member** **Group 'A' DPC (For considering confirmation)** 1. Financial Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi – **Chairman.** 2. Administrative Secretary of the concerned Department - **Member** 3. Special/ Addl. Secretary (GAD) **- Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.	Consultation with the UPSC is necessary at all occasions.

By Order and in the Name of the
Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VINOD PARASHURAM KAVLE, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.21 19:25:17 +05'30'